

अनुमोदन हेतु प्रारूप

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-प्र०-6/विविध-164/2010-

2747 (E)w

/पटना, दिनांक 11/6/17

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)।
पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)।
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।
पथ निर्माण विभाग

विषय :-
महाशय,

अन्य विभागों के संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संवेदकों को निबंधन पर रोक लगाये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :-

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1.	रूंगटा इन्टरप्राइजेज, प्र०-श्री महेश कुमार रूंगटा, मोहल्ला-गाँधीनगर, पो०-कहलगाँव, जिला-भागलपुर, पिन-813203 नि०सं०-113/2010 (प्रथम श्रेणी)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-1736 दि०-03.05.2017	संवेदक के निबंधन की वैधता दिनांक 23.07.15 को समाप्त हो जाने के कारण पत्र निर्गत की तिथि से अगले दस वर्षों तक निबंधन किये जाने पर रोक लगाया जाता है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-प्र०-6/विविध-164/2010-

2747 (E)

/पटना, दिनांक 11/6/17

प्रतिलिपि :-अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को
अनुलग्नक एवं CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०:-यथोक्त।

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव